न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर

सत्र परीक्षण संख्या–79/2019
राज्य बनाम राजन पासी
अपराध संख्या–280/18, थाना दोस्तपुर, जिला सुलतानपुर

<u>आरोप</u>

मैं पी0 के0 जयन्त, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर एतदद्वारा आप अभियुक्त राजन पासी पर निम्न आरोप विरचित करता हूँ:–

यह कि दिनांक 28.11.2018 को समय 12.40 बजे, स्थान मदनपुर मोड़ ग्राम मदनपुर खुर्द, थाना दोस्तपुर, जिला सुलतानपुर में आप अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 303 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद हुआ, जिसको रखने का लाईसेन्स आपके पास नहीं था। इस प्रकार आपने धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

<u>दिनांकः–20.09.2019</u>

(पी0 के0 जयन्त)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार कर, विचारण की मॉग की।

<u>दिनांकः–20.09.2019</u>

(पी0 के0 जयन्त)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर

सत्र परीक्षण संख्या–79/2019
राज्य बनाम राजन पासी
अपराध संख्या–280/18, थाना दोस्तपुर, जिला सुलतानपुर

आदेश पत्र

दिनांकः–20.09.2019

वाद पुकारा गया। अभियुक्त राजन पासी उपस्थित है तथा राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक भी उपस्थित हैं।

विद्वान लोक अभियोजक ने अभियोजन पक्षकथन एवं अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए, उस साक्ष्य का उल्लेख किया, जिसके द्वारा वह आरोप सिद्ध करना चाहते हैं।

आरोप के सम्बन्ध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक के तर्क सुनने व अभिलेख का अध्ययन करने से प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का समुचित आधार प्रतीत होता है।

तद्नुसार उपरोक्त धारा में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया, जिससे उसने इंकार कर, विचारण की मॉग की, फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया जाता है।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 16.10.2019 को पेश हो।

ह–20.9.2019

(पी0 के0 जयन्त)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–11, सुलतानपुर